माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

राजकीय इण्टर कालेज, रायबरेली

केन्द्र .... [विद्यालय अथवा केन्द्र का नाम] .... दिनांक १२.६.६५

संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी .... [illegible] .... अनुक्रमांक १५०३२४

द्वारा परिषद् की इण्टरमीडिएट की परीक्षा, १९६५ में विभिन्न विषयों में प्राप्त किये गये अंकों का विवरण —

वर्ग .... [illegible]

परीक्षार्थी द्वारा लिये गये विषय	विषय के निर्धारित पूर्णांक	प्रथम प्रश्नपत्र	द्वितीय प्रश्नपत्र	तृतीय प्रश्नपत्र	योग	क्रियात्मक	क्रियात्मक प्रथम: आधुनिक (हिन्दी/अंग्रेजी)	क्रियात्मक प्रथम: टंकण: लिखित	क्रियात्मक प्रथम: टंकण: क्रियात्मक	क्रियात्मक द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: [illegible]	क्रियात्मक द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: [illegible]	क्रियात्मक द्वितीय: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: [illegible]	क्रियात्मक द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: [illegible]	क्रियात्मक द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: [illegible]	क्रियात्मक द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: [illegible]	क्रियात्मक द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: [illegible]	क्रियात्मक द्वितीय: टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: योग	विषय योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
१ सा० हिन्दी	१००	१६	१९	१६	५२													५२
२ [illegible] वि०	१००	१६	०९		२५	२५												५०
३ [illegible] वि०	१००	२१	१५		३६	१३												४९
४ [illegible]	१००	१३	१८	१९	५०													५०
५ अंग्रेजी	१००	१५	१३	२३	५१													५१
६—																		

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों तथा अंकों में — दो सौ बावन — २५२

परीक्षाफल प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी या अनुत्तीर्ण	क्रमांक	विशेष योग्यता	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहाँ उल्लेख कीजिये	क्या पूरक परीक्षा का अधिकारी है? यदि हाँ तो विषय	क्या निःशुल्क पुनर्मूल्यांकन का अधिकारी है?
द्वि	×	—	—	—	—

नोट—प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं इसकी जाँच परीक्षार्थी नीचे दिये नियमों के आधार पर स्वयं भी कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराकरण करा लें अन्यथा पुनः सुधार में विलम्ब हो सकता है जो परीक्षार्थी के लिए अहितकर होगा। परिषद् कार्यालय में जाँच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक को दी जायगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को उसकी सूचना देंगे।

परीक्षाफल सम्बन्धी नियम

(१) प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत हैं। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है उनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिए अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं।

(२) उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक नहीं होने चाहिए। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होने पर प्राप्तांक वृत्त के भीतर किये जाते हैं।

(३) किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष योग्यता मिलती है। सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने पर, सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

(४) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अंकों का क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिए।

(५) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है, तो वह उस विषय की पूरक परीक्षा का अधिकारी होगा।

(६) पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २० प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किये गए हैं वे पूरक परीक्षा के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर पुस्तकों का अवलोकन निःशुल्क होगा।

बनाने वाले के हस्ताक्षर ....

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर ....

प्रधानाचार्य

मुद्रक—रामा एजूकेशन डेपो, [illegible] नजीराबाद, लखनऊ—१ फोन २२५२१)

(मुद्रा [illegible])